# राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
नोडल ऐजेन्सी
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 08/06/परीक्षा/2018, दिनांक 30.03.2019

**विज्ञप्ति**

## सेट परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया

01. आयोग के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2018, दिनांक 06.10.2018 के पृष्ठ कमांक–05 में एवं विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2018, दिनांक 12.12.2018 में परीक्षा परिणाम तैयार करने की विधि में संशोधन के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा परिणाम की पूर्ण प्रक्रिया चरणवार निम्नानुसार है।

सेट 2018 का परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/ नियम के अनुसार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोंग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों (06 प्रतिशत अर्ह संख्या (स्लॉट) की प्रक्रिया के अनुसार) का परिपालन करते हुए तैयार किया जायेगा।

**प्रथम चरणः–** सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न–पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जायेगी।

**द्वितीय चरणः–** द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणीयों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार (50 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) हेतु अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर श्रेणीयों हेतु आरक्षित किया जायेगा। महिला प्रवर्ग मे होरिजोन्टली 33 प्रतिशत एवं दिव्यांगजन के प्रवर्ग मे होरिजोन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा।

**तृतीय चरणः–** सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न–पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्ह संख्या (स्लॉट) ज्ञात की जायेगी।

| क्र. | श्रेणी | प्रथम प्रश्न–पत्र | द्वितीय प्रश्न–पत्र |
|---|---|---|---|
| | | दोनो प्रश्न–पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत | |
| 1. | अनारक्षित श्रेणी | 40% | |
| 2. | आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एव दिव्यागजन) | 35% | |

**चतुर्थ चरणः–** विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जायेगा।

**श्रेणी हेतु अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की संख्या** = (विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है। X उस श्रेणी के लिये निर्धारित अर्हता संख्या (स्लॉट)) / (उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या)

(A) यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता हैं तोः–

(अ) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से कम तथा दशमलव में हो तो उसे एक माना जायेगा।

(ब) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से अधिक हो तो उसे समीपस्थ पूर्णाक प्रतिशत में समायोजित किया जायेगा।

(B) विषयवार श्रेणीयों एवं वर्गो में स्लॉट विभाजन की गणना के प्रतिशत में परिणाम दशमलव में प्राप्त होने पर 0.5 के पूर्व दशमलव अकों को पूर्ववर्ती पूर्णाक में तथा 0.5 एवं उससे अधिक होने पर अपने पश्चावर्ती पूर्णाक में समायोजित किया जायेगा।

परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com का निरंतर अवलोकन करते रहे।

परीक्षा नियंत्रक (सेट)